

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2013-2014

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम :- कंपर वीर सिंह

2. वर्तमान धारित पद :- अ. सहा. III

3. कार्यालय का नाम :- कार्यालय कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.निर्माण) संभाग सागर

4. वर्तमान वेतन :- क. 22730/+ 3200/ (Basic+GP)

5. भविष्य निधि क्रमांक :- 23282105

6. कर्मचारी संख्या :- 91550425

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हों। | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे |               | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है। | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|-----------|
|   | गृह तथा अन्य भवन          | भूमि          |               |   |   |                       |           |
| 1   | 2                         | 3             | 4             | 5   | 6   | 7                     | 8         |
| जान भेगीरजा<br>जिम एरिया  |                           | 10.5 X 15 मी  | 5,00,000=00   | स्वयं   | स्वयं की बचत से खरीदा   | —                     | —         |
| जान भेगीरजा<br>जिम एरिया  |                           | 2900 वर्ग फुट | 250,000=00    | स्वयं   | स्वयं की बचत से खरीदा   | —                     | —         |
| जान भेगीरजा<br>जिम एरिया  | मकान                      | —             | 976000=00     | स्वयं   | स्वयं की बचत से खरीदा<br>1,26,000 रु का<br>8,00,000 रु का<br>मार्केट एरिया से<br>खरीदा  | —                     | —         |

हस्ताक्षर :- कंपर वीर सिंह

नाम :- कंपर वीर सिंह

पद :- अ. सहा. III

कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.नि.)  
म. प्र. पा. द्रांस. कं. लि. सागर

' जहां लागू न हो काट दीजिये

" ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

"" इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी :-** मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वात्त्विक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके पति के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।